

आदेश पत्रक
(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

जनदीश पुत्र ईश्वर वगैरह जाति जाट निवासी मण्डी गेट, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)	-बनाम-	राजेश पूनियां पुत्र सुलतान पूनिया वगैरह जाति जाट निवासी घुमचक्कर नवलगढ, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
---	--------	--

विषय मुकदमा -प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 20/2025

28/02/2025

यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी कि ओर से जरिये वकील श्री सज्जन कुमार चाहर एवं श्री नेमीचन्द डुडी ने पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि राजस्व ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढांगिया नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 260 पुराना 239 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.7600 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 12 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु संख्या ए.बी.ई के अनुसार नही डाला जावे। संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु संख्या ए.बी.ई में रास्ता डालकर भूमि को खुर्द-बुर्द नही करें, नाजायज रूप से रास्ता कायम नही करें, उक्त कार्य नही ना तों स्वयं करे ओर ना ही अपने नौकर-चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करवायें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक वकील व आवेदक को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि राजस्व ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढांगिया नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 260 पुराना 239 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.7600 हैक्टेयर भूमि के संबंध में भूमि के मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित/कटानी/डबल-डोटेड रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी.सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। नोटिस/तामील रजिस्ट्रड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते हलबी हेतु दिनांक 28.03.2025 को पेश हो।


(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ


28/3/25
आदेश सं. 10 प 11 की कोट से वकील
श्री जयसिंह लाल वैष्णवी ठाकुर। इन शा. पत्र
के लक्ष्यित मूल काड कसम घनपे कसम
के बादि किया जा रहा है।

मु.नं. 20/2025


अस्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र

यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी कि ओर से जरिये वकील श्री सज्जन कुमार चाहर एवं श्री नेमीचन्द डुडी ने पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि राजस्व ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 260 पुराना 239 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.7600 हेक्टेयर भूमि के संबंध में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 12 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु संख्या ए,बी,ई के अनुसार नही डाला जावे। संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु संख्या ए,बी,ई में रास्ता डालकर भूमि को खुर्द-बुर्द नही करें, नाजायज रूप से रास्ता कायम नही करें, उक्त कार्य नही ना तों स्वयं करे ओर ना ही अपने नौकर-चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करवायें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक वकील व आवेदक को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि राजस्व ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 260 पुराना 239 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.7600 हेक्टेयर भूमि के संबंध में भूमि के मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित/कटानी/डबल-डोटेड रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी.सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। नोटिस/तामील रजिस्ट्रड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 28.03.2025 को पेश हो।


(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

28/3/25
आवेदक सं. 10 व 11 की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर एवं श्री नेमीचन्द डुडी ने पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि राजस्व ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 260 पुराना 239 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.7600 हेक्टेयर भूमि के संबंध में अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 12 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु संख्या ए,बी,ई के अनुसार नही डाला जावे। संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु संख्या ए,बी,ई में रास्ता डालकर भूमि को खुर्द-बुर्द नही करें, नाजायज रूप से रास्ता कायम नही करें, उक्त कार्य नही ना तों स्वयं करे ओर ना ही अपने नौकर-चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करवायें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।


उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (राज.)